

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।
पत्रांक: 309 /14-1, दिनांक, हापुड़ 28/7/2023.

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त
मेरठ।

विषय: जनपद हापुड़ में Construction of mahadev picnic spot for Eco- Tourism prupose b/w ch. 88-690 to 88- 750 khsra no 2521 of NH-09 R.H.S. in village Allabakshpur Tehsil-Garhmukteshwar District-Hapur हेतु 0.048 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में

(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021)
सन्दर्भ :- 1- उप सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2007/81-2-2023-800(117)/2023 दिनांक 18.07.2023
2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 177/11सी-एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021 दिनांक 20.07.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में वांछित आख्या विन्दुवार निम्नानुसार है :-

| क्र०सं० | Observation | Reply |
|---------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | हैण्डबुक ऑफ फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 के चेप्टर-54 के विन्दु संख्या-4.7 के अनुसार 0.1 है0 तक की वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के सामान्य अनुमोदन की स्थिति उन मामलों में ही लागू होती है, जिस वन भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व नहीं है। प्रश्नगत मामलों में प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि (0.084 है) पर वन विभाग का स्वामित्व है अथवा नहीं। | उक्त विन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि आवागमन हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि का भू-स्वामित्व वन विभाग का नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर भू-स्वामित्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है। |
| 2 | प्रश्नगत प्रस्ताव के जिऑ रिफरेंस मैप में महादेव ढाबा, अल्लाहबख्तरपुर गढ़मुक्तेश्वर जिला-हापुड़ के सर्म्पक मार्ग के लिए वन भूमि के डावरजन का उल्लेख है, जबकि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में विषय निम्नवत अंकित है। :- Construction of mahadev picnic spot for Eco- Tourism prupose b/w ch. 88-690 to 88- 750 khsra no 2521 of NH-09 R.H.S. in village garh Banger Tehsil-Garhmukteshwar District-Hapur हेतु 0.048 है संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी के प्रयोग कर बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में | प्रश्नगत भूमि ग्राम अल्लाहख्तरपुर गढ़मुक्तेश्वर जिला-हापुड़ के सम्पर्क मार्ग हेतु भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित है, तदनुसार विषय में संशोधन कर दिया गया है। |

उपरोक्त रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(संजय कुमार मल्ल)

प्रभागीय वनाधिकारी

हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

पत्रांक 309 /14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र दिनांक 20.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार मल्ल)

प्रभागीय वनाधिकारी

हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।